

परिपत्र / CIRCULAR

परिपत्र सं.: पीएफआरडीए/2023/12/आरईजी-पीओपी/04

दिनांक: 20 मार्च, 2023

प्रति / To,

सभी उपस्थिति अस्तित्व, केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण तथा एनपीएस न्यास /
All Point of Presence (POPs), Central Record-keeping Agencies (CRAs) and NPS
Trust

**विषय : गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के कार्यान्वयन हेतु
पीएफआरडीए के नोडल अधिकारी की नियुक्ति**

**Subject: Designation of Nodal Officer of PFRDA for implementation of Section
51A of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967**

यह, गृह मंत्रालय भारत सरकार के आतंकवाद-रोधी एवं कट्टरवाद-रोधी (CTCR) प्रभाग द्वारा 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 51A के कार्यान्वयन की प्रक्रिया' के सम्बन्ध में जारी आदेश एफ.सं. 14014/01/2019/CFT दिनांक 2 फरवरी, 2021 तथा पीएफआरडीए द्वारा केवाईसी / धन शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध (KYC/AML/CFT) पर दिशानिर्देश के सम्बन्ध में जारी परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2023/05/आरईजी-पीओपी/ 02 दिनांक 23 जनवरी, 2023 के अनुच्छेद 15 के सन्दर्भ में है।

This has reference to Order F.No. 14014/01/2019/CFT dated 2nd February, 2021 issued by the Counter Terrorism and Counter Radicalization (CTCR) Division, Ministry of Home Affairs under Government of India regarding 'Procedure for implementation of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA)' and para 15 of Circular no. PFRDA/2023/05/REG-POP/02 dated 23rd January, 2023 issued by PFRDA on the subject Guidelines on Know Your Customer / Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (KYC/AML/CFT).

2. UAPA की धारा 51ए के कार्यान्वयन के लिए, 'विनियमन अंशदान प्रबंधन विभाग के प्रमुख (वर्तमान में श्री आशीष कुमार भारती, महाप्रबंधक)' तत्काल प्रभाव से पीएफआरडीए के UAPA नोडल अधिकारी होंगे।

2. For the purpose of implementation of Section 51A of UAPA, 'Head of Department of Regulation Contribution Management (Currently Shri Ashish Kumar Bharati, GM)' shall be the UAPA Nodal Officer from PFRDA with immediate effect.

(सुमीत कौर कपूर / Sumeet Kaur Kapoor)

कार्यकारी निदेशक / Executive Director